22/4/21	कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बाद पुनः चालू की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23/6/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी
23/6/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 2/7/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी
2/7/21	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली मुल्तवी होकर दिनांक 26/7/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
26/7/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम चटालिया तहसील बावड़ी की सरहद में प्रार्थी की अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. [illegible] 170, 171, 198, 350 एवं 376 [illegible] कुल रकबा [illegible] खातेदार कृषि भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी की हिस्सा 1/7 (एक बटा सात) है। उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरण करते समय, प्रार्थी का नाम स्वीकृत (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:58 IST
Reason: SelfAttested

... लिपिकीय त्रुटिवश जालाराम
पुत्र जोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति-जाट
सा. देहखातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि
प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रदीप कुमार पुत्र
जोगाराम ~~हिस्सा 1/7 जा~~ है अतः
उक्त कृषि भूमि में [राजस्व रेकर्ड में] जालाराम पुत्र जोगाराम
हिस्सा 1/7 जाति जाट सा. देहखातेदार के स्थान
पर शुद्धि कर प्रदीप कुमार पुत्र जोगाराम
हिस्सा- 1/7 जाति-जाट सा. देह खातेदार
दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती बाबत
आदेश फरमावें।
प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार बावड़ी
से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट / जवाब
प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम
राजस्व रेकर्ड में संशोधन करने के आदेश
करवाने बाबत निवेदन किया।

बाद अवलोकन पत्रावली एवं मनन
के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर
~~प्रार्थी के~~ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा ~~136~~ 136 RLR Act को स्वीकार
किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी को
आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार
बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट के
अनुसार राजस्व ग्राम चटालिया के
मूल खसरान क्रमशः 143, 170, 171, 198,
350 एवं 376 कुल खसरान छः कुल
रकबा 7.9928 हैक्टेयर कृषि भूमि में
प्रार्थी का नाम संशोधित कर [illegible]
जोगाराम के स्थान [illegible]
पुत्र जोगाराम हिस्सा [illegible]
सा. देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज की
जावे। तहसीलदार बावड़ी उक्तानुसार
नाम संशोधन कर, शुद्धि कर राजस्व रेकर्ड
एवं नक्शे में अमलदरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तहसीलदार बावडी द्वारा प्रस्तुत मौका जाँच रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार बावडी को आदेश पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:54:58 IST
Reason: SelfAttested